

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं० 97/2020- सीमा शुल्क (गै.टे.)


नई दिल्ली, दिनांक 13<sup>6</sup> अक्टूबर, 2020

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

| नोटिसियों का नाम एवं पता   | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक               | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम  | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी  |
|--|---|--|--|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  |
| मै से सिगनेट केमिकल कापेरिशन प्राइवेट लिमिटेड, ए- 801, क्रेसकेंजों, सी 38-39/ जी ब्लॉक, बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई- 400051 | SCN No. 282/2020-21/PCAO/JNCH दिनांक 13.08.2020 | (i) आयुक्त, सीमाशुल्क, न्हावा शेवा- 1, जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस, न्हावा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र- 400707<br>(ii) अपर/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, अप्रेजिंग ग्रुप 1, आयात, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400099 | आयुक्त, सीमाशुल्क, न्हावा शेवा- 1, जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस, न्हावा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र- 400707 |

[फा° सं° 437/1/2020- सीमाशुल्क IV]

  
(आनंद राधाकृष्णन)  
उप सचिव (सीमाशुल्क)